बिहार मानवाधिकार आयोग

09 बेली रोड, पटना 800015

निविदा

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के कार्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा एवं साफ–सफाई कार्य (House Keeping) तथा आयोग कार्यालय परिसर में लगे फूल–पौधे की देख–रेख हेतु 05 (पाँच) सुरक्षा कर्मी, 05 (पाँच) सफाई कर्मी, 01 (एक) माली (जो माली के कार्य में निपुण हो), 1 (एक) Care Taker, एवं 1 (एक) Sweeper (जो संबंधित कार्य में निपुण हो) हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/संस्थाओं से निविदा में निहित शर्तों के आलोक में निविदा अगले एक वर्ष के अनुबंध पर आमंत्रित की जाती है।

2. इच्छुक निविदादाता विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अगले 15 दिनों तक कार्यालय अवधि में अपनी निविदा आयोग कार्यालय को समर्पित कर सकते हैं।

3. निविदा संबंधी आवश्यक शर्तें/बंधेज आयोग के अधिकारिक वेवसाईट www.bhrc.bihar.gov.in / सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है अथवा इच्छुक निविदादाता अवलोकित कर अन्य आवश्यक जानकारियाँ आयोग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

उप सचिव,
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना

बिहार मानवाधिकार आयोग
09 बेली रोड, पटना 800015

निविदा की शर्तें

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में सुरक्षा एवं सफाई कार्य (House Keeping) हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/संस्थाओं से निम्नांकित शर्त्तो के तहत निविदा अगले एक वर्ष के लिए आमंत्रित की जाती है :–

01. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा विहित प्रपत्र में अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना होगा एवं उस पर अलग–अलग वित्तीय निविदा व तकनीकी निविदा लिखा रहना चाहिए (विहित प्रपत्र संलग्न है)।

02. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ तकनीकी निविदा में अंकित कंडिका (1) से (7) में वांछित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। संलग्न नहीं पाए जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

03. **सुरक्षा व सफाई की शर्तें** :–

(i) निविदादाता को 05 (पाँच) सुरक्षा कर्मी, 05 (पाँच) सफाई कर्मी, 01 (एक) माली (जो माली के कार्य में निपुण हो), 1 (एक) Care Taker, एवं 1 (एक) Sweeper (जो संबंधित कार्य में निपुण हो) आयोग को उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति 24 घंटों के लिए की जानी होगी। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी की सेवा Shift wise निम्नवत् होगीः–

(a) सुबह 6 बजे पूर्वाहन से 2 बजे अपराहन तक

(b) अपराहन 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक एवं

(c) रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे पूर्वाहन तक

(ii) सुरक्षाकर्मी सेवानिवृत सैनिककर्मी या किसी सुरक्षा एजेन्सी में पूर्व का सुरक्षा संबंधी पाँच वर्षो का अनुभव प्राप्त सुरक्षाकर्मी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(iii) सुरक्षा कर्मी/सफाई कर्मी/अन्य कर्मी को श्रम संसाधन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–4/M.W-40-14/2025श्र0सं0 1662 दिनांक 28.03.2025 में वर्णित वर्गीकरण (कुशल/अर्धकुशल/अकुशल) अंतर्गत वर्ग विशेष की पात्रता/प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी।

(iv) सुरक्षाकर्मी को तीन शिफ्ट में सभी सातों दिन कार्य करना होगा। सफाई कार्य का शि..ट आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(v) सुरक्षाकर्मी/सफाईकर्मी/अन्य कर्मी को नियमित हाजिरी प्रत्येक शिफ्ट में आयोग द्वारा संधारित पंजी में किया जाना अनिवार्य होगा। उपस्थिति में आगमन एवं प्रस्थान (समय सहित) अंकित करना होगा।

(vi) उपस्थिति विवरणी के आलोक में प्रतिष्ठान/संस्थान द्वारा प्रत्येक माह के 5वीं तारीख के पूर्व विपत्र समर्पित करना होगा।

(vii) सुरक्षा कर्मियों/सफाई कर्मियों सहित सभी उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों को वांछित वर्दी में रहना अनिवार्य होगा तथा कर्मियों को नाम पट्टिका भी लगानी होगी जिसकी आपूर्त्ति चयनित एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।

04. **अन्य सामान्य शर्तें :–**

(i) सुरक्षाकर्मी/सफाईकर्मी सहित सभी उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों अनुभवी एवं अनुशासित होने चाहिए। उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों को 24 घंटे (रात एवं दिन) परिसर में अवस्थित आयोग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करनी होगी। यह व्यवस्था अवकाश के दिन भी लागू होगा।

(ii) एजेन्सी का प्रतिनिधि प्रत्येक सप्ताह सुरक्षा/सफाई कार्यो के सुचारु संचालन हेतु आयोग के सचिव/अपर सचिव/उप सचिव से आवश्यक समन्वय/मार्गदर्शन प्राप्त करेगें।

(iii) अयोग्य सुरक्षाकर्मी/सफाईकर्मी/अन्य कर्मी को किसी भी समय वापस करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(iv) चोरी अथवा अनधिकृत प्रवेश की सूचना एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को देना अनिवार्य होगा।

(v) कर्मियों के छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति मे वैकल्पिक व्यवस्था एजेन्सी को करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

(vi) कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) आगन्तुक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के आने–जाने की जांच सुरक्षाकर्मियों द्वारा की जाएगी, जिसके लिए उनके द्वारा अभिलेख संधारित करना होगा।

(viii) सफाई एवं विसंकमित करने हेतु सभी आवश्यक निम्नलिखित सामग्रियाँ एजेन्सी को उपलब्ध करानी होगी:–

(झाड़ू (नारियल और फूल), एसीड, नेफथलीन बॉल, पोछा, कोलीन, ब्लीचींग पाउडर, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराईड (NaOCL), विम पाउडर, सर्फ, फेनाईल, सीटा, दो सुती कपड़ा, प्लास्टिक बाल्टी (बड़ा), नाली काछने वाली कुदाली)

(ix) सफाई कर्मियों द्वारा फ्लोर, बाथरुम, दरबाजा, खिड़की, टेबुल, कुर्सी परिसर के आगे–पीछे, (लॉबी, कोरिडोर एवं हॉल सहित) की सफाई, शर्त्तो के अनुरुप करनी होगी।

(x) कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर विपत्र से समानुपातिक राशि की कटौती व एकरारनामा रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(xi) इस कार्य के लिए एक वर्ष का एकरारनामा आयोग एवं चयनित प्रतिष्ठान/एजेन्सी के बीच में सम्पादित किया जाएगा। इस क्रम में भाग लेने वाले प्रतिष्ठान/एजेन्सी का एक पैनल तैयार किया जाएगा। यदि चयनित संस्था द्वारा बीच में ही कार्य छोड़ दिया जाता है अथवा हटा दिया जाता है तो उस पैनल में शामिल नीचे के प्रतिष्ठान/एजेन्सी से कार्य उसी प्रकृति एवं दर पर सम्पादित कराया जायेगा। कार्य संतोषप्रद रहने पर आगे के लिए एकरारनामा विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है।

(xii) साफ–सफाई के क्रम में प्रत्येक दिन पूरे कार्यालय एवं कार्यालय परिसर को साफ–सफाई के साथ–साथ सप्ताह में एक दिन पूर्णतः विसंक्रमित (Disinfected) करना होगा।

(xiii) बिहार मजदूरी अधिनियम 1948 एवं न्यूनतम मजदूरी नियमावली 1951 तथा ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1948 एवं 1970 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

05. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

06. आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर हीं कर्मियों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

उपर्युक्त शर्त्तो के अनुरुप इच्छुक प्रतिष्ठान/संस्थान/एजेन्सी समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर 50,000/- (पचास हजार) रुपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में संलग्न कर निविदा अपर सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पदनाम से कार्यालय अवधि में दे सकते है। निविदा खोलने की तिथि की सूचना निविदाकारों को निविदा प्राप्ति के पश्चात् अलग से दी जायेगी।

[signature]

तकनीकी निविदा

01. फर्म का नाम :

02. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र :
(संख्या एवं दिनांक व वैधता की अवधि यदि कोई हो तो, दें)।
(ii) बिहार सरकार द्वारा सुरक्षा एवं सफाई के संबंध में निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र :
(iii) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र :
(iv) पैन कार्ड नम्बर :
(v) ई0पी0एफ0 निबंधन प्रमाण–पत्र :
(vi) लेबर लाईसेन्सः
(vii) ई0एस0आई निबंधन प्रमाण–पत्रः

03. संस्थान के लेखा का वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का चार्टर्ड एकाउटेन्ट द्वारा समर्पित अंकेक्षण रिपोर्ट ।

04. बिहार / भारत सरकार एवं अन्य सरकारी कार्यालयों / संस्थानों में काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र (संलग्न प्रपत्र में)।

05. (i) संस्थान में साफ–सफाई एवं सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्याँ :
(a) कुल सुरक्षा कर्मियों में से सेवानिवृत सैनिक कर्मियों की संख्या :
(b) 18–60 वर्ष के उम्र के बीच के सेवानिवृत सैनिक कर्मियों की संख्या :
(ii) (a) संस्थान में सफाई कर्मियों की कुल संख्या :
(b) 18–60 वर्ष के उम्र के बीच के सफाई कर्मियों की संख्या :

06. सफाई कार्यो में उपयोग होने वाले सफाई सामग्रियों की विवरणी :

07. विभिन्न संस्थाओं में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र (कम से कम तीन वर्ष) (प्रति संलग्न करें)।

" आयोग द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तो की सभी कंडिकाएँ मान्य है एवं तत्संबंधी निविदा के प्रति पर मेरे हस्ताक्षर व मुहर अंकित है तथा संलग्न है।"

दिनांक .... निविदादाता का हस्ताक्षर

नोटः उपरोक्त तकनीकी निविदा में मांगे जा रहे कागजातों के लिए तत्संबंधी स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति एवं निविदा की हस्ताक्षरित प्रति अनुलग्नक के रुप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

01.
02.
03.
04.

वित्तीय निविदा

क्र0 सं0	फर्म का नाम	मजदूरी दर (प्रतिदिन) 1. प्रति सुरक्षा कर्मी 2. प्रति सफाई कर्मी 3. प्रति माली कर्मी 4. प्रति स्वीपर कर्मी 5. प्रति केयर टेकर कर्मी	मासिक व्यय	ई0पी0 एफ0 अंशदान	ई0एस0आई0 सी0 अंशदान	जी0एस0 टी0	अन्य	05 सुरक्षा कर्मी/05 साफ–सफाई/01 माली/01 केयर टेकर/01 **Sweeper** पर होने वाली कुल मासिक व्यय	कुल वार्षिक व्यय
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)

दिनांक ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

नोट : प्रति सुरक्षा कर्मी/सफाई कर्मी/माली कर्मी/स्वीपर कर्मी/केयर टेकर कर्मी के देय राशि के अतिरिक्त देयता यथा जी0एस0टी0, यूनिफार्म चार्ज, बीमा राशि, ई0पी0एफ0 राशि आदि देय राशि अलग–अलग अंकित करेगें।

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि भारत सरकार/बिहार सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्थानों/विभागों द्वारा मेरे संस्थान को कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर

शपथ–पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी लागू सभी श्रम कानूनो का पालन करूँगा।

दिनांक :

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर